

485

बिहार सरकार
महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय।
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना।

छज्जबाग, पटना-800001
बिहार के विभिन्न जिलों में स्वयंसेवी गृहरक्षकों का स्वच्छ नामांकन
विज्ञापन संख्या-01/2025

01. बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी के स्वयंसेवी गृहरक्षकों के 15,000 (पन्द्रह हजार) रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

02. जिलावार एवं आरक्षण कोटिवार विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या निम्नवत है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ						कुल पद	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए शैतिज आरक्षण
		गैर आरक्षित	अधिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग		
		महिलाओं के लिए शैतिज आरक्षित रिक्तियों की संख्या-*						महिलाओं के लिए शैतिज आरक्षित रिक्तियों की संख्या-*	
01.	पटना	592	148	237	15	266	177	1479	30
		207	52	83	05	93	62	502*	
02.	नालन्दा	325	81	130	08	146	98	812	16
		114	28	46	03	51	34	276*	
03.	रोहतास	224	56	89	06	100	67	559	11
		78	20	31	02	35	23	189*	
04.	भोजपुर	205	51	82	05	92	61	511	10
		72	18	29	02	32	21	174*	
05.	बक्सर	125	31	50	03	56	38	312	6
		44	11	18	01	20	13	107*	
06.	कैमूर/भभुआ	96	24	39	03	43	29	241	5
		34	08	14	01	15	10	82*	
07.	गया	364	91	145	09	164	109	909	18
		127	32	51	03	57	38	308*	
08.	जहानाबाद	127	32	51	03	57	38	317	6
		44	11	18	01	20	13	107*	
09.	औरंगाबाद	87	22	35	02	39	26	217	4
		30	08	12	00	14	09	73*	
10.	नवादा	144	36	58	04	65	43	361	7
		50	13	20	01	23	15	122*	
11.	छपरा	276	69	110	07	124	83	690	14
		97	24	39	02	43	29	234*	
12.	सिवान	92	23	37	03	41	28	231	5
		32	08	13	01	14	10	78*	
13.	गोपालगंज	159	39	63	04	71	47	395	8
		56	14	22	01	25	16	34*	
14.	मुजफ्फरपुर	119	29	47	03	53	36	296	6
		42	10	16	01	19	13	101*	

* महिलाओं के लिए शैतिज आरक्षित रिक्तियों की संख्या कुल रिक्तियों के अंतर्गत है।

क्र०सं०	जिला का नाम	आरक्षण कोटिवार रक्तियाँ						कुल पद	महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षित रक्तियों की संख्या—*	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के लिए क्षेत्रीय आरक्षण
		गैर आरक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग			
महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षित रक्तियों की संख्या—*										
15.	सीतामढ़ी	175	44	70	05	79	53	13	439	9
		61	15	25	02	28	19		150*	
16.	शिवहर	31	08	13	01	14	09	02	78	2
		11	03	05	00	05	03		27*	
17.	प० चम्पारण (पुलिस जिला बगहा छोड़कर)	125	31	50	03	56	37	09	311	6
		44	11	18	01	20	13		107*	
18.	पूर्वी चम्पारण	190	47	76	05	85	57	14	474	9
		67	16	27	02	30	20		162*	
19.	वैशाली	191	47	76	05	86	57	14	476	10
		67	16	27	02	30	20		162*	
20.	दरभंगा	296	74	119	08	133	89	22	741	15
		104	26	42	03	47	31		253*	
21.	मधुबनी	243	61	97	06	109	73	18	607	12
		85	21	34	02	38	26		206*	
22.	समस्तीपुर	292	73	117	08	131	88	22	731	15
		102	26	41	03	46	31		249*	
23.	सहरसा	30	07	12	01	13	09	02	74	1
		11	02	04	00	05	03		25*	
24.	सुपौल	58	14	23	02	26	17	04	144	3
		20	05	08	00	09	06		48*	
25.	मधेपुरा	78	19	31	02	34	23	06	193	4
		27	07	11	00	12	08		65*	
26.	भागलपुर (पुलिस जिला नवगछिया छोड़कर)	267	66	106	07	120	80	20	666	13
		93	23	37	02	42	28		225*	
27.	बाँका	118	29	47	03	53	35	09	294	6
		41	10	16	01	19	12		99*	
28.	पूर्णियाँ	112	28	45	03	50	34	08	280	6
		39	10	16	01	18	12		96*	
29.	अररिया	48	12	19	02	22	15	04	122	2
		17	04	07	00	08	05		41*	
30.	किशनगंज	112	28	45	03	50	34	08	280	6
		39	10	16	01	18	12		96*	
31.	कटिहार	194	48	77	05	87	58	15	484	10
		68	17	27	02	30	20		164*	
32.	मुंगेर	69	17	27	02	31	20	05	171	3
		24	06	09	00	11	07		57*	
33.	लखीसराय	49	12	19	02	22	15	04	123	2
		17	04	07	00	08	05		41*	

* महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षित रक्तियों की संख्या कुल रक्तियों के अंतर्गत है।

क्र०सं०	जिला का नाम	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ						कुल पद	महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षित रिक्तियों की संख्या-*	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए क्षेत्रीय आरक्षण	
		गैर आरक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग				पिछड़े वर्गों की महिलाएँ
34.	शेखपुरा	77	19	31	02	34	23	06	192	4	
		27	07	11	00	12	08		65*		
35.	खगड़िया	45	11	18	01	20	13	03	111	2	
		16	04	06	00	07	05		38*		
36.	जमुई	103	26	41	03	46	30	08	257	5	
		36	09	14	01	16	11		87*		
37.	बेगूसराय	168	42	67	05	76	51	13	422	8	
		59	15	23	02	27	18		144*		
	कुल	6006	1495	2399	159	2694	1800	447	15000	299	
		2102	524	843	49	947	629		5094*		

* महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षित रिक्तियों की संख्या कुल रिक्तियों के अंतर्गत है।

नोट:— अरवल जिला एवं पुलिस जिला नवगछिया तथा बगहा में रिक्ति शून्य है।

03. गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन जिला स्तरीय मेधा सूची के अनुसार जिलावार किया जाएगा तथा बिहार आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (थर्ड जेंडर सहित)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्ग की महिला /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग /महिला के प्रतिनिधित्व हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र में विज्ञापन की तिथि तक निहित प्रावधान लागू होंगे। इस क्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में आरक्षण अनुमान्य होगा।

04. स्वच्छ नामांकन हेतु अर्हताएँ:—

- अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी होंगे।
- उम्र:—दिनांक— 01/01/2025 तक सभी वर्गों के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 19 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए।
- शैक्षणिक योग्यता :— दिनांक 01/01/2025 तक अभ्यर्थी को उच्च माध्यमिक (इन्टरमीडिएट/इन्टर) अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- शारीरिक योग्यता:— अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से कठिन मैदानी कार्य के लिये सक्षम होना चाहिए।

V. शारीरिक मापदंड:-

(क) ऊँचाई:-

सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी (पूर्णिमा एवं कोसी प्रमंडल के जिलों को छोड़कर) के लिए न्यूनतम ऊँचाई 05 फीट 04 इंच (162.56से.मी.) होनी चाहिए। पूर्णिमा एवं कोसी प्रमंडल के जिलों (पूर्णिमा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला) के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 05 फीट 02 इंच (157.5से.मी.) होनी चाहिए।

सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊँचाई 153 से.मी. होनी चाहिए।

(ख) सीना :-

सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी (पूर्णिमा एवं कोसी प्रमंडल के जिलों के पुरुष अभ्यर्थी को छोड़कर) के लिए सीना बिना फुलाये 31 इंच (79 से.मी.) होनी चाहिए। पूर्णिमा एवं कोसी प्रमंडल के जिलों (पूर्णिमा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला) के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए सीना 30 इंच (76से.मी.) होनी चाहिए।

सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थी के लिए सीना की मापी नहीं होगी।

नोट:-थर्ड जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदण्ड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे।

VI. चरित्र:- अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए।

VII. गृहरक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जायेगा कि अभ्यर्थी कम से कम तीन वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी, बिहार को देने पर सहमत हैं।

05. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:-

I. गृहरक्षकों के पद पर नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट www.onlinebhhg.bihar.gov.in पर दिनांक-27.03.2025 से दिनांक-16.04.2025 के मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित जानकारी (User Manual) वेबसाइट-www.onlinebhhg.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।

II. अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में निम्नवत दर से ऑनलाइन भुगतान करना होगा-

कोटि	आवेदन राशि
गैर आरक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर/पिछड़ा वर्ग (थर्ड जेन्डर सहित) /अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	200/- रुपये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएँ	100/- रुपये

06. गृहरक्षकों का चयन संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला गृह रक्षक चयन समिति द्वारा किया जायेगा। इस चयन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

- | | | |
|-----|----------------------------------|-------------|
| i | जिला पदाधिकारी | -अध्यक्ष |
| ii | पुलिस अधीक्षक | -सदस्य |
| iii | जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी | -सदस्य सचिव |
| iv | जिला कल्याण पदाधिकारी | -सदस्य |

(राज्य सरकार द्वारा मनोनित सदस्य के रूप में)

जिला गृह रक्षक चयन समिति इच्छुक, योग्य एवं स्वस्थ अभ्यर्थियों का चयन करते हुए अपनी अनुशंसा जिला पदाधिकारी को सौंपेगी। जिला पदाधिकारी उक्त अनुशंसा के आलोक में जिला स्तरीय मेधा सूची प्रकाशित करायेंगे एवं आरक्षण प्रावधानों के आलोक में गृह रक्षकों का चयन करते हुए नामांकन एवं बॉण्ड इत्यादि भरवाने की कार्यवाई पूर्ण करायेंगे। जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा स्वच्छ नामांकित गृहरक्षकों की सूची अग्रतर कार्यवाई एवं बुनियादी प्रशिक्षण हेतु पूर्ण विवरणी मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को भेजी जायेगी।

07. नामांकन की प्रक्रिया:-

(क) अभ्यर्थी जिस जिला के स्थायी निवासी हैं, एकमात्र उसी जिला के लिए आवेदन भर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला से आवेदन पत्र भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन रद्द कर दिये जायेंगे।

(ख) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में स्थाई निवास प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि से संबंधित मैट्रिक/समकक्ष प्रमाण-पत्र, इन्टरमीडिएट(10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, इन्टरमीडिएट(10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा अंक प्रमाण-पत्र, आरक्षण के दावे हेतु जाति प्रमाण-पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण-पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का दावा करने वाले अभ्यर्थी को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। आरक्षित कोटि की विवाहित महिलाओं के संदर्भ में पिता की जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया नियमानुसार एवं आधुनिक तकनीक से की जायेगी।

08. शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा:-

I शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, जो कुल 15 अंकों की होगी।

II शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा क्रमबद्ध होगी, जो निम्नांकित है:-

(क) अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन के उपरान्त सर्वप्रथम दौड़ होगा, निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिये जायेंगे एवं आगे की प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं ले सकेंगे।

(ख) दौड़ में सफल अभ्यर्थियों के ऊँचाई एवं सीने की माप होगी। जिन अभ्यर्थियों की ऊँचाई एवं सीने की माप निर्धारित मापदण्ड से कम होगी, उन्हें असफल घोषित कर दिया जायेगा एवं वे आगे की प्रतिस्पर्धाओं यथा-ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में भाग नहीं ले सकेंगे।

(ग) ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक सभी प्रतिस्पर्धाओं में अलग-अलग अधिकतम 05 अंक होंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक तीनों प्रतिस्पर्धाओं में अधिकतम तीन मौका दिया जायेगा।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरी तिथि को मौका नहीं दिया जायेगा।

09. पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, ऊँची कूद एवं गोला फेंक के मापदण्ड एवं अंको के प्रावधान निम्नवत होंगे:-

पुरुषों के लिए:-		महिलाओं / थर्ड जेन्डर के लिए:-	
दौड़:- एक मील(1600 मीटर) की दौड़ के लिये समय सीमा 06 मिनट के अन्दर पूरी करनी होगी (06 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा)।		दौड़:- 800 मीटर की दौड़ 05 मिनट के अन्दर पूरी करनी होगी (05 मिनट से अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा)।	
ऊँची कूद	अंक	ऊँची कूद	अंक
4 फीट से कम	00 अंक	3 फीट से कम	00 अंक
4 फीट	01 अंक	3 फीट	01 अंक
4 फीट 3 इंच	02 अंक	3 फीट 3 इंच	02 अंक
4 फीट 6 इंच	03 अंक	3 फीट 6 इंच	03 अंक
4 फीट 9 इंच	04 अंक	3 फीट 9 इंच	04 अंक
5 फीट	05 अंक	4 फीट	05 अंक
लंबी कूद	अंक	लंबी कूद	अंक
12 फीट तक	00 अंक	09 फीट तक	00 अंक
12 फीट से अधिक एवं 13 फीट तक	01 अंक	09 फीट से अधिक एवं 10 फीट तक	01 अंक
13 फीट से अधिक एवं 14 फीट तक	02 अंक	10 फीट से अधिक एवं 11 फीट तक	02 अंक
14 फीट से अधिक एवं 15 फीट तक	03 अंक	11 फीट से अधिक एवं 12 फीट तक	03 अंक
15 फीट से अधिक एवं 16 फीट तक	04 अंक	12 फीट से अधिक एवं 13 फीट तक	04 अंक
16 फीट से अधिक	05 अंक	13 फीट से अधिक	05 अंक
गोला फेंक(16 पाँड का गोला)	अंक	गोला फेंक(12 पाँड का गोला)	अंक
16 फीट तक	00 अंक	10 फीट तक	00 अंक
16 फीट से अधिक एवं 17 फीट तक	01 अंक	10 फीट से अधिक एवं 11 फीट तक	01 अंक
17 फीट से अधिक एवं 18 फीट तक	02 अंक	11 फीट से अधिक एवं 12 फीट तक	02 अंक
18 फीट से अधिक एवं 19 फीट तक	03 अंक	12 फीट से अधिक एवं 13 फीट तक	03 अंक
19 फीट से अधिक एवं 20 फीट तक	04 अंक	13 फीट से अधिक एवं 14 फीट तक	04 अंक
20 फीट से अधिक	05 अंक	14 फीट से अधिक	05 अंक

10. चिकित्सकीय परीक्षण:-

शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जायेगा। आँख, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, पलैट फूट, नॉकिंग नी, हकलाहट सहित अन्य शारीरिक मापदंडों की जाँच की जायेगी। मेडिकल बोर्ड द्वारा योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी को चिकित्सकीय परीक्षण में मेडिकली फिट घोषित किया जायेगा। इस क्रम में यदि किसी अभ्यर्थी को (मेडिकल बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण पर) कोई आपत्ति हो तो अभ्यर्थी द्वारा अपना अपील अभ्यावेदन जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष 24 घंटे/एक कार्य दिवस के अंदर दायर किया जा सकेगा, जिसका निष्पादन जिला पदाधिकारी द्वारा गठित (के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ.) की अध्यक्षता में गठित) मेडिकल बोर्ड के द्वारा एक सप्ताह के अन्दर किया जायेगा। (निष्पादित कर दिया जाएगा)। विलम्ब से दायर अपील अमान्य होगी। (बाद में दिया गया अपील मान्य नहीं होगा)।

11. मेधा सूची-

- प्रत्येक जिला में गृहरक्षकों के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की तीनों प्रतिस्पर्धाओं यथा-ऊँची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेधा सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के कोटि का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक जिले में रिक्ति के विरुद्ध 1.5 गुणा (डेढ़ गुणा) अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी।

मेधा सूची तैयार करने हेतु निम्न प्रावधानों का पालन किया जायेगा:-

- शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

- (ii) समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।
- (iii) शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हक परीक्षा (इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।
- (iv) उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन विचारण के बाद भी समानता की दशा में उनके नाम के देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उनका स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

2. यदि स्वच्छ नामांकित गृह रक्षक मेडिकली अनफिट पाये जाते हैं/ किसी कारणवश उनका अभ्यर्थित्व (Candidature) रद्द किया जाता है/ उनके द्वारा त्याग-पत्र समर्पित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेधा सूची में निचले क्रमांक पर अवस्थित उक्त कोटि के प्रतीक्षारत् अभ्यर्थी का नियमानुसार नामांकन किया जा सकेगा।

12. अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान:-

नामांकन के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा अभ्यर्थी द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नामांकन के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किए जाने पर राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के आलोक में उन्हें नामांकन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

13. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश:-

- I. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सभी दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।
- II. रजिस्ट्रेशन और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी रखें जो यथासम्भव अभ्यर्थी के नाम से रजिस्टर्ड हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ अभ्यर्थी के ई-मेल आईडी एवं मोबाइल फोन पर साझा की जाएगी। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्टेड (Disconnected) मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
- III. अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी। Payment Failure की वजह से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के अन्दर लौटा दी जाएगी।
- IV. अभ्यर्थी उसी जिला के विज्ञापित पद के विरुद्ध अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरेंगे, जिस जिला के वे स्थायी निवासी हैं एवं इस हेतु अपना स्थायी निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे। एक से अधिक जिला से आवेदन भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

- V. अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्मतिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ सही-सही भरेंगे। प्रमाण-पत्र से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो सकारण साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- VI. आरक्षित वर्ग के आवेदक अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट-<https://state.bihar.gov.in/gad/CitizenHome.htm> पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन करेंगे।

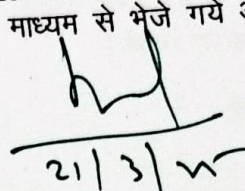
VII. ऑनलाईन आवेदन-पत्र:-

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र ऑनलाईन ही भरा जायेगा। आवेदन पत्र किसी भी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र भरने हेतु आवेदकों द्वारा निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा:-

- (क) आवेदक द्वारा सर्वप्रथम अपनी व्यक्तिगत सूचना प्रविष्टि की जायेगी। इस क्रम में आवेदन पत्र में सभी कॉलम में आवश्यक वांछित सूचना अनिवार्य रूप से प्रविष्टि की जायेगी।
- (ख) तदोपरान्त आवेदक द्वारा ऑनलाईन प्रपत्र में उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में अपना फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य सभी वांछित दस्तावेज यथा-स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि से संबंधित मैट्रिक/समकक्ष प्रमाण-पत्र, इन्टरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र तथा इन्टरमीडिएट(10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा अंक प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा आरक्षण के दावे हेतु प्रमाण-पत्र अपलोड किया जायेगा।
- (ग) उपरोक्त चरणबद्ध कार्रवाई पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन किया जायेगा (विज्ञापन की कंडिका-5(2) द्रष्टव्य)।
- (घ) आवेदन शुल्क के सफल भुगतान के पश्चात् स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन सं0 (Registration ID) प्रदर्शित होगा, जिसका उपयोग आवेदकों द्वारा भविष्य में किसी भी आवेदन-पत्र से संबंधित पृच्छा अथवा जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जायेगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन सं0 आवेदक द्वारा पंजीकृत मोबाइल फोन एवं ई-मेल आईडी0 पर SMS/E-mail द्वारा भेजा जायेगा।
- (ङ.) आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के सफलता पूर्वक समर्पित (Submit) करने के पश्चात् उक्त आवेदन-पत्र को प्रिंट/डाउनलोड (Print/Download) कर रक्षित कर लेंगे। उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांग किये जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- (च) आवेदक ऑनलाईन आवेदन-पत्र को आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी गलत भरी गई सूचना को संशोधित कर पायेंगे। आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल सं0, फोटो, E-mail ID एवं आवेदित जिला में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकेंगे।
- (छ) किसी भी अन्य कार्य हेतु यथा आवेदन में संशोधन, एडमिट कार्ड डाउनलोड एवं अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु आवेदक अपना Registration ID का उपयोग कर Log-in करेंगे।
- (ज) ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन नहीं करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा।

14. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि:-

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 16.04.2025 के मध्य रात्रि तक है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा। डाक, हाथो-हाथ या अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।



महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ,
बिहार, पटना।